ग्राम पंचायत कसमैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कसमैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री राजेन्द्र सिंह	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्री राम दास	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री लेख राम	1.4.14 से 28.12.16
2	श्री मेहर सिंह	29.12.16 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत कसमैला के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.62
2	4.2	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
3	5	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.28
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	32.22
5	8	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.29
6	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.19

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कसमैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.09.17 से 25.9.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	09/2014	03/2015
2015–16	12/2015	12/2015
2016–17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कसमैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 25.9.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कसमैला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

सचिव, ग्राम पंचायत कसमैला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत कसमैला द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	10566	48543	59109	40566	18543
2015–16	18543	64569	83112	55862	27250
2016–17	27250	74495	101745	86564	15181

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत कसमैला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	1118145.55	2740004	3858149.55	2628473	1229676.55
2015–16	1229676.55	2310786	3540462.55	2055896	1484566.55
2016–17	1484566.55	5109443	6594009.55	3372102	3221907.55

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹0.62 लाख का भारी अन्तरः–

स्वः स्त्रोतः–

दिनांक 31.3.17 को रोकड बही का अन्तशेष	15181
अनुदानः–	
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	3221907.55
कुल योग	**₹3237088.55 (क)**

(i)	शुष्क शौचालयों हेतु 12.11.16 को प्राप्त अनुदान	1260000
	उक्त अनुदान से किया व्यय जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में की गई (11x12000)	132000
	अनुदान से किया व्यय जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	(–) 1128000 (ख)
(ii)	प्राप्त अनुदान जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	
	दिनांक 4.2.17=13050	
	–यथोपरि––=25050	(+) 38100 (ग)
	रोकड़ बहियों का वास्तविक अन्तशेष (क–ख+ग)	2147188.55
दिनांक 31.3.2017 को बैंक शेष (संलग्न परिशिष्ट–II)		2209553.55
	अन्तर	₹62365

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ समय पर मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष तथा बैंक खातों के शेष में ₹62365 का अन्तर है, जिसका मिलान करने के लिए सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 23.9.17 द्वारा अनुरोध किया गया था। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत कसमैला की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तुरन्त प्रभाव से पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व की ₹0.28 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट–III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹28000 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली अतिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹32.22 लाख का उपयोग न करनाः–

सचिव, ग्राम पंचायत कसमैला द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–I)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹3221907 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 नियमानुसार पंचायत निधि के लेखों का रख–रखाव न करनाः–

पंचायत के लेखाओं की जाँच में पाया गया कि पंचायत लेखों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता क तथा खाता ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखें खाते खोल कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता–क व खाता–ख में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं (निविदाएँ आमन्त्रित करना इत्यादि) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों का अंकेक्षण में

पाया गया कि **परिशिष्ट–IV** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹129003 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 ₹1.19 लाख की क्रय सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धी औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–V** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹118703 की क्रय सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) लेखन सामग्री रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

11 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का, अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

12 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत कसमैला के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 36/2017–खण्ड–1–567–570 दिनाँक 18.01.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कसमैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046